कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-98/2016-17/

दिनांक: /04/2017

सेवा में,

ज़िला पंचायत राज अधिकारी,

चमोली

जनपद- चमोली

विषय : जिला पंचायत राज अधिकारी, चमोली, का वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग4 (ब)-1 में शुन्य प्रस्तर, भाग 4 (ब)-2 मे 03 प्रस्तर** तथा **STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या **सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून** एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखंड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 98/2016-17/ **दिनांक : /04/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखंड, डोंडा लाखोंड सहस्त्रधारा मार्ग,आइ.टी. पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

माह 11/2015 से माह 02/2017 तक के लिये कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी चमोली, जनपद-चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत **जिला पंचायत राज अधिकारी** का नाम तथा पदनाम

श्री बिशन सिंह दुग्ताल - जिला पंचायत राज अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ.

(ii) श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ.

(iii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(iv) श्री राजवेश भट्ट, ले0प0

(स) संप्रेक्षा तिथि 07.03.2017 से 16.03.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:11/2015 से 02/2017 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली, जनपद-चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या: -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या : -

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : -

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः -

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: -

5. बैठक :

6. कर्मचारियों की संख्या : 74

7. पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

8. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

9. योजनाओं की संख्या :- -

(अ) सामाजिक संरक्षा : - (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: - (द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय : **-**

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- हाँ

भाग-4(अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली, जनपद-चमोली** के लेखा/अभिलेखों की माह 11/2015 से माह 02/2017 तक की सम्प्रेक्षा श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ, श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ.,श्री नित्यानन्द, स.ले.प.अ. तथा श्री राजवेश भट्ट, ले0प0 द्वारा दिनांक 07.03.2017 से 16.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4(ब)I**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**	**STAN प्रस्तर**
(i)	AIR NO.51/2015-16	-	01,02,03	-

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर - **अप्राप्त**

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- प्रस्तरों के अनुसार

(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

भाग (4) ब II

प्रस्तर 1(अ-I): इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (क्षेत्र पंचायत अंश) से संबन्धित `429.96 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का शासन को प्रेषित न किया जाना ।

जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली को तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान जनपद चमोली के अंतर्गत 09 क्षेत्र पंचायतों हेतु ` **4,29,96,000/-** की धनराशि निम्नानुसार प्राप्त हुई थी:-

क्रं.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**किश्त संख्या**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**संक्रमित धनराशि**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि**
01.	2015-16	द्वितीय किश्त	1248/XXVII(1)/2015 dated 19.10.2015	1,43,33,000	31.12.2015
02.	2016-17	प्रथम किश्त	772/XXVII(1)/2016 dated 28.06.2016	1,21,82,000	31.07.2016
03.	2016-17	द्वितीय किश्त	1166/XXVII(1)/2016 dated 05.10.2016	1,64,81,000	31.03.2017
			कुल धनराशि	**4,29,96,000**	

उपरोक्त लिखित शासनादेशों के अनुसार:-

(अ) क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा | प्रमाण -पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि) भी भेजना होगा |

(ब) निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का होगा |

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा क्षेत्र पंचायतों हेतु अवमुक्त धनराशि ` **4,29,96,000/-** से संबन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित नहीं किये गए हैं जबकि सभी शासनादेशों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई थी|

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि 03 क्षेत्र पंचायतों से ` **65,81,000/-** के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं | शेष धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विकास खण्डों से पत्राचार किया जा रहा है | शीघ्र ही अपेक्षित प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को ` **65,81,000/-** की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 03 क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त हो चुके थे परन्तु इकाई द्वारा इन्हें शासन को प्रेषित नहीं किया गया जबकि शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का था |

अतः इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (क्षेत्र पंचायत अंश) से संबन्धित `429.96 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को शासन को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग (4) ब II

प्रस्तर 1(अ-II): इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश) से संबन्धित `481.24 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का शासन को प्रेषित न किया जाना ।

जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली को तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान जनपद चमोली की 09 क्षेत्र पंचायतों के अंतर्गत 615 ग्राम पंचायतों हेतु ` **7,16,64,000/-** की धनराशि निम्नानुसार प्राप्त हुई थी:-

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	किश्त संख्या	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	संक्रमित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि
01.	2015-16	द्वितीय किश्त	120/XXVII(1)/2015 dated 29.01.2016	2,35,40,000	31.03.2016
02.	2016-17	प्रथम किश्त	773/XXVII(1)/2016 dated 28.06.2016	2,04,73,000	31.07.2016
03.	2016-17	द्वितीय किश्त	1150/XXVII(1)/2016 dated 05.10.2016	2,76,51,000	31.03.2017
			कुल धनराशि	**7,16,64,000**	

उपरोक्त लिखित शासनादेशों के अनुसार:-

(अ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायतों के संबंध में निदेशक पंचायतीराज द्वारा महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग-1)/सचिव, ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा | पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण- पत्र के साथ ही वर्तमान में संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी | प्रमाण -पत्र के साथ कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा |

(ब) उपयोगिता प्रमाण पत्र रित समयावधि तकनिर्धा, निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का होगा |

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों हेतु अवमुक्त कुल धनराशि ` **7,16,64,000/-** के सापेक्ष केवल वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त की धनराशि से संबन्धित ` **2,35,40,000/-** के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये गये हैं जबकि बाकी बची हुई अवशेष धनराशि ` **4,81,24,000/-** के उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग-1)/सचिव, ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को नहीं भेजे गये हैं जबकि सभी शासनादेशों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई थी |

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अवशेष धनराशि ` **4,81,24,000/-** के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का था |

अतः इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश) से संबन्धित `481.24 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को शासन को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-4(ब)II

प्रस्तर-1(ब):- ` 136.76 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्राप्त रहना तथा स्वीकृत धनराशि को समय से विकास खण्डों को उपलब्ध न कराना।

जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली (गोपेश्वर) के नवम्बर-2015 से फरवरी -2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई को उक्त अवधि में ` 1,36,76,316/- जनपद की 9 क्षेत्र पंचायतो को विकास कार्यों को कराने के उद्देश्य से निम्न विवरणानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	किश्त सं.	निदेशालय पत्रांक व दिनांक	प्राप्त धनराशि			योग
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	सामान्य जाति	
1.	2015-16	I+II	154/क्षे.प.वि.नि./2015-16 दिनांक 21.04.2015	24,16,500	7,00,000	37,21,658	68,38,158
2.	2016-17	प्रथम किश्त	165/क्षे.पं.वि.नि./2016-17 दिनांक 26.04.2016	8,05,540	2,33,300	12,34,844	22,73684
3.	2016-17	द्दितीय किश्त	1168/क्षे.प.वि.नि./2016-17 दिनांक 5.09.2016	16,10,960	4,66,700	24,84,814	45,64,474

1. आगे लेखा परीक्षा में देखा गया कि निदेशालय से प्राप्त धनराशि को संबंधित क्षेत्र पंचायतो को लगभग 45 दिन से 60 दिन के विलम्ब से भेजा जा रहा था।
2. विकास खण्डो से प्राप्त कार्य योजनाओ की प्रति (पूर्ण) इकाई के पास उपलब्ध नहीं थी जिससे कि आवंटित धनराशि (अनु.जाति जनजाति) को स्वीकृति के अनुपात में व्यय किया जा रहा था या नही ज्ञात करना संभव नहीं था।
3. संबंधित विकास खण्डों से अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये जा रहे थे जबकि निर्देशित किया गया था कि धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की ओर इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि

बिन्दु क्र.1- कोषागार में नेटवर्किंग की समस्या होने के कारण बिलो का देर से आहरण हो पाया जिसके कारण विकास खण्डो को धनराशि का भुगतान करने में देरी हो गई।

बिन्दु क्र.2 के संबंध में इकाई का कहना था कि विकास खण्डो से कार्य योजनाए विलम्ब से प्राप्त होती है जबकि व्यय विकास खण्डों से प्राप्त कार्य योजना के अनुसार ही किया जाता है।

बिन्दु क्र.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में इकाई का कहना था कि निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिये गये है एवं विकास खण्डों से उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है

इकाई का उत्तर सन्तोषजनक नहीं होने के कारण मान्य नहीं था।

अतः `136.76 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना एवं धनराशि का संबंधित विकास खण्डो को विलम्ब से भेजने संबंधी प्रकरण को संज्ञान मे लाया जा रहा हैं।

भाग-4(ब)II

प्रस्तर-1(स):- 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो द्वारा किये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को उपलब्ध न कराया जाना (राशि `715.93लाख)।

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नलिखित पाया गया:-

इकाई के अन्तर्गत 615 ग्राम पंचायतों को वित्त वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त `715.93 लाख अवमुक्त किये गये थे (शा.सं. 753/XXVII(I)/2015 दिनांक 17 जून 2016) समस्त ग्राम पंचायतों को प्रथम छमाही किश्त जुलाई 2017 में अवमुक्त की गयी थी जबकि शासनादेश की शर्त सं. 5 के अनुसार -जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में दस दिन के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे आगे जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की द्दितीय किश्त ग्राम पंचायतो को अवमुक्त नहीं की गयी थी (3/2017)।

उपरोक्त तथ्यों की ओट इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि कोषागार गोपेश्वर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि समस्त ग्राम प्रधानों को पार्टी मास्टर बनाया जाए तत्पश्चात जि.पं.रा.अ. द्वारा 271 ग्राम प्रधानों को पार्टी मास्टर बनाया गया जिसके कारण धनराशि को ग्राम पं. को अवमुक्त करने मे विलम्ब हुआ। जनपद चमोली मे नेटवर्किंग की समस्या होने के कारण की देयक समय से नहीं बन पाये। 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत द्दितीय किश्त में गैरसैंण व देवाल की धनराशि का भुगतान अभी तक लम्बित है (3/2017) क्योंकि शासन द्वारा 1 करोड़ की सीमा बनाई गयी है जिसके कारण बिलों का भुगतान अभी तक नही हो पाया है। वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त के उपयोगित प्रमाण पत्र इकाई को अप्राप्त है जिसे शीघ्र भिजवाने हेतु विकास खण्डों को अवगत करा दिया जायेगा।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायतो को समय पर धनराशि अवमुक्त न हो पाने से इसके उपयोग व्यय होने में विलम्ब के कारण ` 715.93 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को उपलब्ध नही हो पाये। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग-4(ब)II

प्रस्तर-2:- ब्याज प्राप्ति के ` 37.43 लाख को राजकोष में जमा न कराया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून के आदेश क्रमांक 347/वि.आ.नि.दे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार समस्त पंचायतीराज संस्थाओ को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि जो कि लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण विभिन्न बैंक खातो मे जमा रहती हैं, पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई के पास वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 (फरवरी-2017) तक विभिन्न बैंक खातो एवं विभिन्न विकास खण्डों से प्राप्त ब्याज की धनराशि `(533462+3209998)37,43,460/- इकाई के खातों में पडें हुए हैं जबकि इन्हे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि उक्त धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

अतः ब्याज प्राप्ति के ` 37,43,460/- को राजकोष में जमा न किये जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-4(ब)II

प्रस्तर-3:- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के दिशा निर्देशों का पालन न करना एवं निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलम्ब करना।

जिला पंचायत राज चमोली को राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय रिसोर्स सेंटर के निर्माण एवं पंचायत भवन निर्माण हेतु निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार धनरासि अवमुक्त की गई थीः-

क्र.सं.	**स्वीकृत कार्य**	**विकास खण्ड एवं ग्राम पं.**	**निदेशाल. का पत्रांक व दिनांक**	**कुल स्वीकृत धनराशि ` लाख में**	**अवमुक्त धनराशि**	
					प्रथम किश्त ` लाख में	**द्दितीय किश्त ` लाख में**
1.	रिसोर्स सेंटर 2013-14,2014-15	दशोली	871/22.08.2015	10.00	5.00	-
2.	रिसोर्स सेंटर 2013-14,2014-15	दशोली	2341/4.03.2017	10.00	-	5.00
3.	पंचायत भवन निर्माण	दशोली पगना	1853/02.03.2015	12.00	6.00	-
4.	पंचायत भवन निर्माण	दशोली पगना	305/13.05.2016	12.00	-	6.00

उपरोक्त कार्य क्रमांक 01 से संबंधित खण्ड विकास अधिकारीयों को भेजते समय जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे किः-

1. धनराशि का उपभोग उसी वर्ष सुनिश्चित किया जायेगा जिस वर्ष यह आवंटन की जा रही हैं।
2. धनराशि का उपयोगिता प्रमाण -पत्र एंव ऑडिट स्टेटमेंट तथा कम्पोनेंट वार आउटक्रम सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग एक माह के अन्तर्गत सुनिश्चित करना आवश्यक हैं।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दोनों ही कार्यों में द्दितीय किश्त हेतु मांग पत्र क्रमंशः 20 सितम्बर 2016 (लगभग-11 माह पश्चात) एवं 16 मार्च 2016 (लगभग 12 माह 15 दिन पश्चात) को जि.पं.रा.अ. को भेजे गए थे। जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का उल्लंघन था, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त थे।

उक्त बिन्दुओं तथ्यों के संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि कार्य पूर्ण हो चुके हैं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र विकास खण्ड से प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी रिसोर्ट सेंटर की द्दितीय किश्त प्राप्त हो चुकी है जिसे शीघ्र ही वि.ख. कार्यालय को भेज दी जायेगी। जबकि पंचायत भवन के निर्माण से संबंधित शेष धनराशि (`1.20 लाख) निर्माण कार्य के अभिलेख प्राप्त होने पर भेजी जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा एक बार दिशा-निर्देश जारी करने के पश्चात कार्य को पूर्ण करवाने (शीघ्र) हेतु कोई भी प्रयास नही किए जाते है। जिसके कारण निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्माण संस्ता द्वारा भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है यदि जि.पं.रा.अ. द्वारा अपने दिशा निर्देशो का पालन करने हेतु सभी विकास खण्डो/ग्राम पंचायतो को सख्ती से अमल करवाने के प्रयास किये जाये तो भविष्य मे कार्यदायी संस्थाये भी सजग होकर एवं दिशा निर्देशानुसार कार्य करना शुरु कर देगी।

अतः जि.पं.रा.अ. द्वारा द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में अति विलम्ब संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

<u>भाग (4) ब II</u>

प्रस्तर 4:- इकाई द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (मरम्मत मद) से संबन्धित ` 04.50 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का निदेशालय को प्रेषित न किया जाना तथा एक ग्राम पंचायत हेतु आवंटित धनराशि ` 01.50 लाख का संबन्धित ग्राम पंचायत को अवमुक्त न किया जाना ।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के सापेक्ष जनपद चमोली के अंतर्गत निम्नलिखित 04 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 845/पं॰-2/लेखा/रा.गाँ.पं.स.अ./ 2014-15 दिनांक 02 अगस्त 2016 के माध्यम से इकाई को निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया :-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**	
			प्रथम किश्त	**द्वितीय किश्त**
01.	गौणा	2.00	1.50	0
02.	गनोली	2.00	1.50	0
03.	जिलासू	2.00	1.50	0
04.	भग्यूल	2.00	1.50	0
कुल धनराशि		**08.00**	**06.00**	**0**

निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपरोक्त लिखित धनराशि का हस्तांतरण निम्न शर्तों के साथ किया गया था :-

(i) धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट तथा कम्पोनेंटवार सूचना उपलब्ध करायी - जायेगी|

(ii) धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें |

(iii) धनराशि की मासिक प्रगति सूचना एवं कार्य की प्रगति से प्रत्येक माह की वीं तिथि तक 5 निदेशालय को सूचित किया जायेगा|

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:-

(i) ग्राम पंचायत भग्यूल हेतु आवंटित धनराशि `**1.50 लाख** को 06 माह से भी अधिक का समय बीत चुका है परन्तु इकाई द्वारा आतिथि तक संबन्धित ग्राम पंचायत को यह धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है |

(ii) इकाई द्वारा आतिथि तक ग्राम पंचायतों से उपरोक्त लिखित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट प्राप्त करके निदेशालय को प्रेषित नहीं किए गए हैं|

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायत भग्यूल द्वारा प्राक्लन समय से उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रथम किश्त को अवमुक्त नहीं किया गया है | दिनांक 02.01.2017 को प्राक्लन प्राप्त हो चुका है | शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी | उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट के सम्बंध में इकाई ने बताया कि शीघ्र ही ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट प्राप्त करके निदेशालय को प्रेषित कर दिये जायेंगे |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा दिनांक 02.01.2017 को प्राक्लन प्राप्त होने के बावजूद भी आतिथि तक संबन्धित ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है | इकाई द्वारा आतिथि तक ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट प्राप्त करके निदेशालय को प्रेषित नहीं किये गये हैं जबकि निदेशालय के पत्रानुसार इकाई द्वारा उपरोक्त लिखित धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जाना था |

अतः इकाई द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (मरम्मत मद) से संबन्धित ` 04.50 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का निदेशालय को प्रेषित न किये जाने तथा एक

ग्राम पंचायत हेतु आवंटित धनराशि ` 01.50 लाख को संबन्धित ग्राम पंचायत को अवमुक्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-चार अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका कार्यस्थल पर समाधान नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, चमोली,** को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेज दे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय